

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई)(आर-205 / 2023) / अलेसे-III / 7765

दिनांक:- 24/03/25

कार्यालय आदेश

श्री रूपेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लेखाकार, रोल नं.-730333 (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) को कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, मारवाड़ जंक्शन (पाली) के पत्र क्रमांक 409 दिनांक 23.07.2025 की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान सेवा नियम (खण्ड-प्रथम) के नियम-96 के अन्तर्गत (वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 एवं 22.02.2021 के अनुसरण में) निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 20.03.2025 से 12.04.2025 तक (कुल 24 दिवस)

उक्त 24 दिवस के असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री रूपेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें। साथ ही वित्त (नियम-अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 22.02.2021 के अनुसार स्वीकृत अवकाश अवधि तक कार्मिक के परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।



(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.4(ई)(आर-205 / 2023) / अलेसे-III / 7765

दिनांक:- 24/03/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, मारवाड़ जंक्शन (पाली)।
- 2 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 3 श्री रूपेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, मारवाड़ जंक्शन (पाली)।
- 4 उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 रक्षित/निजी पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)